



कायलिय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपायुक्त्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड जयपुर-15)

क्रमांक : एफ-13 () उपा.आयो-II/ननिज/2023/107

दिनांक 21/6/2023

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. 52, श्याम नगर विस्तार (श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री मुरलीधर शर्मा को क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी ने जरिए रजि० मुख्यारनामा आम द्वारा श्री रतन लाल सबल पुत्र श्री मांगी लाल सबल के पक्ष में मुख्यार किया गया। श्री रतन लाल सबल पुत्र श्री मांगी लाल सबल ने जरिए रजि० विक्रय पत्र द्वारा श्री राजाराम सबल पुत्र श्री मांगू लाल सबल के पक्ष में बेचान किया गया। श्री राजाराम सबल पुत्र श्री मांगू लाल सबल ने जरिए रजि० विक्रय पत्र द्वारा श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बिन्देश्वर शाह अग्रवाल के पक्ष में बेचान किया गया। श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बिन्देश्वर शाह अग्रवाल ने जरिए रजि० विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती छाया देवी खण्डेलवाल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल के पक्ष में बेचान किया गया। श्रीमती छाया देवी खण्डेलवाल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल ने जरिए रजि० विक्रय पत्र द्वारा श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री अवधेश कुमार शर्मा के पक्ष में बेचान किया गया। प्रकरण आवदेक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री अवधेश कुमार शर्मा के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड पट्टा से फ्री होल्ड पट्टा बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना-द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर